

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुनिता यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 08 /2022

उनवान

- 1- बन्नालाल पुत्र भेरू चमार निवासी नासरदा तहसील शाहपुरा
- 2- केशर पुत्री रामा चमार निवासी नासरदा तहसील शाहपुरा
- 3- खाना पुत्र रामा चमार निवासी नासरदा तहसील शाहपुरा
- 4- गमान पुत्री रामा चमार निवासी नासरदा तहसील शाहपुरा
- 5- चन्ता पत्नी भेरू चमार निवासी नासरदा तहसील शाहपुरा
- 6- मगनी पुत्री रामा चमार निवासी नासरदा तहसील शाहपुरा
- 7- राजेन्द्र पुत्र भेरू चमार निवासी नासरदा तहसील शाहपुरा
- 8- हेमा पुत्री भेरू चमार निवासी नासरदा तहसील शाहपुरा

- प्रार्थीगण

बनाम

- 1- भंवर सिंह पुत्र देबीसिंह राजपूत निवासी नासरदा हाल निवासी मोहनवाड़ी कलिंजरी गेट शाहपुरा तहसील शाहपुरा
- 2- सत्यनारायण पुत्र बद्रीलाल जाट निवासी नासरदा तहसील शाहपुरा
- 3- तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री अनिल कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

-:: निर्णय ::-

दिनांक- 06/06/2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं - ग्राम नासरदा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 21 रकबा 0.75 है0 कुल किता 1 रकबा 0.75 है0 कटेयर के प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगद्दी करवाई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 2 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा विपक्षीगण सं0 1 के विरुद्ध अभिभाषक प्रार्थीगण के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम नासरदा संवत 2074 से 2077 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदार में दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगद्दी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा नासरदा में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त संयुक्त खातेदार की आराजीयात् किता 1 रकबा 0.75 है0 कटेयर की पुरखा पत्थरगद्दी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगद्दी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगद्दी हेतु कमिश्नर फीस 500 रुपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगद्दी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06/06/2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।



(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर